

C/No 21/2022

राजस्थान सरकार

प्रपत्र-8

लय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खसत संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कुचिल	213 214	ग्राम कुचिल के खसत 213, 214 राजस्व रिकार्ड में कि किसी भी प्रकार के एवं सुद्वन से झुड़ हो गया है। अतः जमाबन्दी में वर्गेत रूम के अपरिवर्तित रखते हुए ग्राम कुचिल के खसत 213 व 214 वर्तमान के डेट्स में जो कि झुड़ के फूटन मक्के	

व जमाबन्दी में जो कि झुड़ के फूटन मक्के

इंटर प्रमारी अधिकारी एवं

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 136

दिनांक :- 7.1.22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी को सूचनाय।
3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी
इंटर प्रमारी अधिकारी
लोक अदालत एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर

